

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2023

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड़, जिला— सिरौही
बनाम

अप्रार्थी

नगरपालिका, आबूरोड़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, आबूरोड़, जिला—सिरौही
“प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 26 दिसम्बर, 2023


(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम सांतपुर, तहसील आबूरोड़ के खसरा संख्या 976 रकबा 2.02 बीघा मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 2029 से 2049 तक के अनुसार किस्म भूमि गै.मु. नाला दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 197.33 वर्गगज भूमि नगर पालिका, आबूरोड़ के पक्ष नियमन/दर्ज की गई थी। उक्त भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत 2029 से 2049 तक में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि वर्तमान खतौनी संवत 2074-2077 तक खातेदार नगरपालिका, आबूरोड़ की खातेदारी खाता 641 में दर्ज है एवं उक्त भूमि आबादी दर्ज है। उक्त भूमि खातेदार नगरपालिका, आबूरोड़ के नाम से नियमन/दर्ज करने के आदेश क्रमांक:राज/2001/1079-82 दिनांक 02.7.2001 के द्वारा नियमन/दर्ज करने के आदेश होने से नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 26.7.2001 को स्वीकृत होने से खातेदारी में दर्ज हुई है। यह कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं अर्थात् पूर्णतया प्रतिबंधित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है कि “All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal.” उक्त जलग्रहण क्षेत्र की भूमि का विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। अतः उक्त भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति किस्म गै.मु. नाला बहाल कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रार्थी पक्ष की ओर से परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि



ज दो पर


अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)




जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन तथा किसी भी रूप में संपरिवर्तन किया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज झील, नदी, नाला, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत् 2029 से 2049 तक राजस्थान सरकार के खाते में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 के द्वारा जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में दिनांक 15.8.1947 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या: 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.5.2012 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का किया गया आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः प्रश्नगत भूमि का किया गया नियमन निरस्त करवाने एवं प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में अप्रार्थी नगरपालिका, आबूरोड़ के विरुद्ध ग्राम सांतपुर, पटवार हल्का सांतपुर, तहसील-आबूरोड़ के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता संख्या 641 खसरा संख्या 1497/976 रकबा 0.0076 हेक्टेयर किस्म आबादी व खसरा संख्या 1498/976 रकबा 0.0253 हेक्टेयर किस्म आबादी में से रकबा 197.33 वर्गगज भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति किस्म गै.मु. नाला राजकीय बिलानाम दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रेकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत् 2029 से 2049 में ग्राम सांतपुर, तहसील- आबूरोड़ के खसरा संख्या 976 रकबा 2.02 बीघा किस्म गै.मु. नाला भूमि दर्ज होकर राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि खसरा संख्या 976 किस्म गै.मु.नाला में से रकबा 197.33 वर्गगज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार), आबूरोड़ के आदेश क्रमांक/राज/2001/1079-82 दिनांक 02.7.2001 के द्वारा अप्रार्थी नगरपालिका, आबूरोड़ के पक्ष में निहित किये जाने से ग्राम सांतपुर, पटवार हल्का सांतपुर के नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 26.7.2001 के द्वारा अप्रार्थी नगरपालिका, आबूरोड़ के नाम से ग्राम सांतपुर, पटवार हल्का सांतपुर के खसरा संख्या 976 किस्म गै.मु. नाला में से रकबा 197.33 बीघा आबादी दर्ज की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि: **"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly.**

---In the Government Owend Lakes and other water bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought undr the ownership of the government.

.....पेज तीन पर


अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.5.2012 में भी जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये हैं।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रेकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 2029 से 2049 तक में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज होकर किस्म गै.मु. नाला दर्ज थी, जो जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नहीं हो सकता है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही, उभय पक्षकारान को यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक प्रश्नगत भूमि के भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने दे एवं न ही करे।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति ग्राम सांतपुर, पटवार हल्का सांतपुर, तहसील-आबूरोड़, जिला- सिरौही के खाता संख्या 641 खसरा संख्या 1497/976 रकबा 0.0076 हेक्टेयर किस्म आबादी व खसरा संख्या 1498/976 रकबा 0.0253 किस्म आबादी में से रकबा 197.33 वर्गगज भूमि भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज अप्रार्थी की प्रविष्टियां विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत 2029 से 2049 के अनुरूप राजकीय बिलानाम किस्म गै.मु. नाला दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा सहित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली निर्णय की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित प्रेषित की जावे। उभय पक्षकारान प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे तथा न ही रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करे। साथ ही, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, आबूरोड़ को प्रश्नगत आराजी वर्तमान भू अभिलेख में रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगामी आदेश तक नोट अंकित करने हेतु प्रेषित की जावे।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 28.3.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरौही